आवेदन पत्र सं. 310/2022
कंवरसिंह वगै. बनाम तहसीलदार बुहाना
निर्णय दिनांक 08.07.2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, ~~[illegible]~~ RAS

राजस्व वाद स. 310/2022

1. कंवर सिंह पुत्र फुलचन्द जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
2. विरेन्द्र पुत्र गुरूदयाल जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

..........वादीगण

– ब ना म –

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार भू–अभिलेख बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
2. राजस्थान सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिए सहायक अभियंता, बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 112 एवं 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थिति –

1. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता आवेदक की ओर से ।
2. अनावेदकगण एक पक्षीय ।

:: निर्णय ::

दिनांक – 08.07.2022

आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया हैं कि:–

1. यह कि आवेदकगण की खातेदारी की भूमि अविभाजित खसरा नम्बर 2766 रकबा 0.51 हैक्टेयर एवं 2767 रकबा 0.20 हैक्टेयर थी, जिसका बेचान किया गया एवं उक्त भूमि का जो रकबा सड़क सीमा के अन्दर आया तो उसको सड़क हेतु अनावेदक संख्या 2 के हक में समर्पण किये तो इस भूमि के छोटे–छोटे भाग बनाये गए तथा उसके बाद सेग्रिगेशन की कार्यवाही हुई एवं इसका नक्शा बनाकर इसके सभी नम्बरों को नक्शा में तरमीम किया तो उनको गलत तरमीम कर दिया गया, जिससे सम्पूर्ण भूमि के खसरा नम्बर जहां मौके पर वे स्थित हैं, उससे भिन्न स्थिति में [illegible] रिकार्ड एवं नक्शा में दर्ज किए गए हैं।
2. यह कि भूमि खसरा नम्बर 2905/2766 र[illegible] 0.[illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2907/2767 रकबा 0.02 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.03 हैक्टेयर [illegible]वेदकगण की खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 2906/[illegible] रकबा 0.49 खसरा नम्बर 2908/2767 रकबा 0.16 हैक्टेयर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:13 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

आवेदन पत्र सं. 310/2022
कंवरसिंह वगै. बनाम तहसीलदार बुहाना
निर्णय दिनांक 08.07.2022

हैक्टेयर आवेदकगण के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 2898/2766 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2899/2767 रकबा 0.02 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.03 हैक्टेयर आवेदकगण ने रास्ता हेतु अनावेदक संख्या 2 के हक में समर्पण कर दिया है, लेकिन इस समर्पण के रकबा को नक्शा में गलत तरमीम कर दिया क्योंकि यह समर्पण रास्ता के लिए किया गया था जो खसरा नम्बर 2908/2767 से पूर्व में एवं खसरा नम्बर 2906/2766 के दक्षिण में समर्पण किया गया था, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने इसको नक्शा में गलत तरमीम करते हुए खसरा नम्बर 2898/2766 के पश्चिम में तरमीम करते हुए खसरा नम्बर 2899/2767 को भी कतई पश्चिम में तरमीम करते हुए खसरा नम्बर 2905/2766 एवं खसरा नम्बर 2907/2767 के मध्य में तरमीम कर दिया तथा जहां खसरा नम्बर 2899/2767 होना चाहिए था वहां खसरा नम्बर 2908/2767 तरमीम कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 2898/2766 को खसरा नम्बर 2906/2766 के दक्षिणी भाग में तरमीम करना चाहिए था। वहां तरमीम नहीं किया गया। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों ने नक्शा बनाया वह मौके की स्थित के अनुसार नहीं बनाया है। इसलिए भूमि हाल खसरा नम्बर 2906/2766, खसरा नम्बर 2905/2766, खसरा नम्बर 2907/2767, खसरा नम्बर 2908/2767, खसरा नम्बर 2898/2766, खसरा नम्बर 2899/2767 का नक्शा पुनः बनाए जाने योग्य है एवं मौके पर इस भूमि की भौतिक स्थिति के अनुसार नक्शा बनाए जाने योग्य है एवं नक्शा पुनः बनाया जाकर दुरूस्त किए जाने योग्य है।

3. यह कि भूमि खसरा नम्बर 2906/2766, खसरा नम्बर 2905/2766, खसरा नम्बर 2907/2767, खसरा नम्बर 2908/2767, खसरा नम्बर 2899/2767, खसरा नम्बर 2898/2766 का नक्शा इसकी मौके पर भौतिक स्थिति के अनुसार नहीं होने से आवेदकगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है, जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

4. यह कि आवेदन पत्र के लिए आधार विवाद आवेदकगण की भूमि का नक्शा राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत बनाकर उसकी भौतिक स्थिति के अनुसार तरमीम नहीं करने से पैदा हुआ है। वैसे भी राजस्व रिकार्ड की त्रुटि की दुरुस्ती के लिए कानून में कोई मियाद निर्धारित नहीं है। इसलिए यह आवेदन पत्र अन्दर मियाद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:13 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

आवेदन पत्र सं. 310/2022
कंवरसिंह वगै. बनाम तहसीलदार बुहाना
निर्णय दिनांक 08.07.2022

5. यह कि आवेदन पत्र में विर्णित भूमि वाके ग्राम नावता की ढाणी में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान की हदूद में है। इसलिए यह आवेदन पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रमान जी को प्राप्त है।

6. यह कि आवेदन पत्र दो रूपये कोर्ट फीस पर सेवामें पेश है।

7. यह कि आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित दुरूस्ति एवं वर्तमान रूप में गलत रूप से बनाए गए दोनों नक्शे पेश हैं।

8. यह कि आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक का शपथ पत्र पेश है।

अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि–

(क) कि वाके ग्राम ढाणी नावता स्थित भूमि खसरा नम्बर 2905/2766 के नक्शा में खसरा नम्बर 2906/2766 के पश्चिम में खसरा नम्बर 2907/2767 को खसरा नम्बर 2908/2767 के पश्चिम में खसरा नम्बर 2906/2766 के दक्षिण में खसरा नम्बर 2908/2767 को दर्शाया जाकर खसरा नम्बर 2898/2766 को खसरा नम्बर 2906/2766 के दक्षिणी भाग में से पूर्व की ओर दर्शाया जाकर खसरा नम्बर 2899/2767 को खसरा नम्बर 2908/2767 के पूर्वी भाग में से उत्तर दक्षिण दर्शाया जाकर पुनः नक्शा बनाया जाने का आदेश दिया जाकर मुताबिक नजरी नक्शा के नक्शा दुरूस्त किए जाने की कृपा करें तथा अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो आवेदकगण को दिलाया जाने की कृपा करें।

आवेदन पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई बावजूद तामील सभी अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे बहस सुनी गई राजस्व रिकार्ड एवं पटवारी हल्का व पटवारी व गिरदावर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया रिपोर्ट के अनुसार जहां ख.न. 2905/2766 है वहां नक्शे में 2898/2766 दर्शाया गया है जहां 2907/2767 है वहां 2899/2767 दर्शाया गया है जहां 2906/2766 स्थित है वहां 2908/2767 स्थित है वहां 2907/2767 दर्शाया गया [...] मुताबिक मौका रिपोर्ट नक्शा ख.न. 2905/2766 एवं 2906/2766 दर्शाया गया है इस [...] किया जाना पाया जाता है। गलत बनाया गया है जो पुनः बनाया जाकर दुरुस्त [...]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:13 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

आवेदन पत्र सं. 310/2022
कंवरसिंह वगै. बनाम तहसीलदार बुहाना
निर्णय दिनांक 08.07.2022

— :: आदेश ::—

न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके गांव नावता की ढाणी स्थित भूमि ख.न. 2905/2766 ,2906/2766, 2898/2766 एवं ख.न. 2907/2766, 2908/2767, 2899/2767 का नक्शा गिरदावर एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 19.04.2022 प्रदर्श— अ —1 लगायत अ—2 के अनुसार पुनः बनाया जाकर नक्शा दुरूस्ती का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट दिनांक 19.04.2022 प्रदर्श— अ —1 लगायत अ—2 इस आदेश का भाग रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जाता है।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 08.07.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
सत्यमेव जयते

नोट— निर्णय दिनांक 8/7/22 में तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि प्रदर्श- अ-1 के अनुसार तामील की जावे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:13 IST
Reason: SelfAttested